न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 24/14/अपील

कालूराम पुत्र बालूराम आयु 38 वर्ष जाति जाट निवासी श्यामपुरा तन पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अपीलांट

ब ना म

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, पचार पंचायत समिति, दांतारामगढ जिला सीकर
2. पटवारी, पटवार हल्का, पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—रेस्पोंडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 529 दिनाक 20.06.2002
बतस्दीक ग्राम पंचायत, पचार

निर्णय दिनांक— 10.10.2014

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट ने दिनांक 01.05.2002 को खातेदार बोदूराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर से उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1372, 1373, 1377, 1378 किता 4 कुल रकबा 10.48 है0 में से उसका हिस्सा 1/32 में से 5/6 हिस्सा यानि संपूर्ण में से 5/192 रकबा 0.272 है0 भूमि जरिये विकय पत्र दिनांक 02.05.2002 को उप पंजीयक, दांतारामगढ में पेश होकर तस्दीक हुआ। उसी दिन दिनांक 02.05.2002 को जीवण, दाना पुत्रगण कुम्भाराम जाति जाट निवासी पचार की खातेदारी भूमि में से उनका हिस्सा 1/48 संपूर्ण विकय पत्र अपीलांट के पक्ष में दिनांक 02.05.2002 को उप पंजीयक, दांतारामगढ में प्रस्तुत होकर तस्दीक हुआ जो कि आज की तारीख में उक्त दोनों विकय पत्र अस्तित्व में है। उक्त विकय पत्रों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने में हल्का पटवारी द्वारा ना.करण सं. 529 दिनांक 22.05.2002 को भरा गया जिसमें कॉलम सं. 10 में विकय पत्र जीवण राम, दानाराम बहक कालूराम में मात्र एक ही खसरा नं. 1372 दर्ज किया गया तथा विकय पत्र बोदुराम बहक कालूराम के कय शुदा खसरा नं. 4 की जगह किता 3 दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त दोनों विकय पत्रों में खसरा नं. किता 4—4 है एवं उक्त ना0करण की कॉलम सं. 14 में विकय पत्र की दिनांक भी 02.05.2002 की जगह दिनांक 09.05.2002 दर्ज कर दी गई।

जिसकी जांच हल्का गिरदावर द्वरा दिनांक 23.05.2002 को की गई जिसमें लिखा कि जांच की गयी, अंकन ठीक है। इसी गलती को ग्राम पंचायत, पचार द्वारा ना. करण दिनांक 20.06.2002 को तस्दीक कर दिया गया जो अवैधानिक है। उक्त ना.करण के आधार पर हल्का पटवारी के द्वारा प्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी विकय पत्र के अनुसार दर्ज न कर ना.करण की गलती के आधार पर खसरा नं. 1372 खातेदारी विकय पत्र बोदु बहक कालूराम के अनुसार दर्ज नहीं की गई जो आज भी खातेदारों के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा खसरा नं. 1373, 1377, 1378 भी खातेदारी उक्त गलत ना.करण के कारण विकय पत्र जीवण, दाना बहक कालूराम की खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज नहीं हुई जो आज भी विकेतागण के खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, इसलिए उक्त ना.करण विकय पत्रों के अनुसार दर्ज नहीं होने के कारण निरस्त करवाने हेतु यह अपील पेश किया जाना आवश्यक हुआ जो निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि विकय पत्र बहक बोदुराम बनाम कालूराम की खसरा नं. 1372 की खातेदारी अपीलांट के नाम विकय पत्र में स्पष्ट रूप से दर्ज होने के बावजूद अपीलांट को खातेदारी प्रदान नहीं गई। विकयय पत्र बहक जीवण, दाना बहक कालू में खसरा नम्बर 1373, 1377, 1378 की खातेदारी अपीलांट के नाम विकय पत्र में स्पष्ट रूप से दर्ज होने के बावजूद अपीलांट के नाम खातेदारी प्रदान नहीं करने के कारण ना.करण खारिज होने योग्य है। उक्त ना.करण की जानकारी दिनांक 10.06.2014 को हल्का पटवारी, पचार से नकल लेने हेतु संपर्क किया तो पता चला कि अपीलांट के खातेदारी विकय पत्रों के आधार पर संपूर्ण दर्ज नहीं हुई, ना.करण भरे जाने की गलती से हुई। इसलिए दिनांक 11.06.2014 को तहसील कार्यालय, दांतारामगढ से नकल प्राप्त की गई, तत्पश्चात् अधिवक्ता से संपर्क करने जमाबंदी की प्रमाणित प्रति हल्का पटवारी से लाने के लिए कहा, लेकिन हल्का पटवारी के यहां बार बार जाने पर भी नहीं मिलने के कारण दिनांक 02.07.2014 को पुनः अधिवक्ता से संपर्क किया तो उन्होंने तहसील से प्रमाणित प्रति लाने के लिए कहा, जिस पर दिनांक 02.07.2014 को तहसील कार्यालय, दांतारामगढ से प्रमाणित प्रति प्राप्त की, तब पता चला। इससे पूर्व अपीलांट को उक्त ना.करण की गलती की जानकारी नहीं हुई। जानकारी के अभाव मं दी हुए समय के लिए पृथक से धारा 5 अवधि परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। ना.करण ग्राम पंचायत, पचार द्वारा तस्दीक होने के कारण माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 529 दिनांक 20.06.2002 बतस्दीक ग्राम पंचायत, पचार को निरस्त किया जाना सादर प्रार्थनीय है।

2. अपील पेश होने पर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 ता 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा दो अलग अलग विक्रय पत्रों द्वारा दिनांक 02.05.2002 को विवादित आराजियात ख.नं. 1372, 1373, 1377, 1378 किता 4 कुल रकबा 10.48 है0 में से खातेदार बोदुराम पुत्र श्री रेखाराम के हिस्से 1/32 में से 5/6 हि. यानि संपूर्ण में से 5/192 हि. की 0.272 है0 भूमि संपूर्ण तथा खातेदार जीवण, दाना पुत्रगण कुम्भाराम के हिस्से 1/48 की 0.218 है0 भूमि संपूर्ण को क्रय किया गया था जिसके आधार पर पटवारी हल्का, पचार द्वारा ना.करण सं. 529 दिनांक 22.05.2002 को भरा गया जिसमें कॉलम सं. 10 में विक्रय पत्र जीवण राम, दानाराम बहक कालूराम में मात्र एक ही खसरा नं. 1372 दर्ज किया गया तथा विक्रय पत्र बोदुराम बहक कालूराम के क्रय शुदा खसरा नं. 4 की जगह किता 3 दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त दोनों विक्रय पत्रों में खसरा नं. किता 4–4 है जिसकी जांच हल्का गिरदावर द्वरा दिनांक 23.05.2002 को की गई जिसमें लिखा कि जांच की गयी, अंकन ठीक है। इसी गलती को ग्राम पंचायत, पचार द्वारा ना.करण दिनांक 20.06.2002 को तस्दीक कर दिया गया जो अवैधानिक है। उक्त ना.करण के आधार पर हल्का पटवारी के द्वारा प्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी विक्रय पत्र के अनुसार दर्ज न कर ना.करण की गलती के आधार पर खसरा नं. 1372 खातेदारी विक्रय पत्र बोदु बहक कालूराम के अनुसार दर्ज नहीं की गई जो आज भी खातेदारों के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा खसरा नं. 1373, 1377, 1378 भी खातेदारी उक्त गलत ना.करण के कारण विक्रय पत्र जीवण, दाना बहक कालूराम की खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज नहीं हुई जो आज भी विक्रेतागण के खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार कर ना.करण सं. 529 दिनांक 20.06.2002 बतस्दीक ग्राम पंचायत, पचार को खारिज किया जाकर अपीलांट के द्वारा क्रय की गई विक्रय पत्रों के आधार पर पुनः ना.करण भरकर तस्दीक हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को रिमाण्ड किया जावें।

4. हमने वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलांट कालूराम पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी श्यामपुरा तन पचार द्वारा दो अलग अलग विक्रय पत्रों द्वारा विवादित आराजियात ख.नं. 1372, 1373, 1377, 1378 किता 4 कुल रकबा 10.48 है0 वाके ग्राम पचार में से खातेदार बोदुराम पुत्र रेखाराम जाति जाट नि. पचार के हिस्से 1/32 में से 5/6 हि. यानि संपूर्ण में से 5/192 हि. की 0.272 है0 भूमि एवं अन्य खातेदार जीवण, दाना पुत्रगण श्री कुम्भाराम जाति जाट नि.गण पचार के

हिस्से 1/48 की 0.218 है. भूमि संपूर्ण को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 02.05.2002 को कय किया गया था जो दिनांक 09.05.2002 को पंजीबद्ध किया गया। उक्त विकय पत्रों के आधार पर ना.करण सं. 529 भरा जाना चाहिए था लेकिन पटवारी हल्का, पचार द्वारा खसरा नं. 1372 में से जीवण, दाना पि. कुम्भा हि. 1/48 का तो अपीलांट कालूराम पुत्र बालूराम के अंकन कर दिया गया लेकिन अन्य किता 3 खसरा नम्बरों में जीवण, दाना पि. कुम्भा के हिस्से का अपीलांट के नाम अंकन नहीं किया गया इसी प्रकार किता 3 खातेदार बोदु पि. रेखा हि. 1/32 के स्थान पर कालूराम पुत्र बालूराम हि. 5/6 का अंकन कर दिया गया लेकिन खसरा नं. 1372 में विकेता बोदु पुत्र रेखा के हिस्से में से कय किये गये हिस्से का अंकन अपीलांट/केता कालूराम पुत्र बालूराम के नाम अंकन नहीं किया गया जबकि विकय पत्रों के आधार पर ना.करण में खातेदार जीवण, दाना पि. कुम्भा एवं बोदु पि. रेखा द्वारा विकय किये गये हिस्से का अंकन अपीलांट/केता के नाम अंकन होना चाहिए था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादिन ना.करण सं. 529 दिनांक 20.06.2002 बतस्दीक ग्राम पंचायत, पचार खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर ना.करण सं. 529 दिनांक 20.06.2002 बतस्दीक ग्राम पचांयत, पचार खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ को रिमाण्ड किया जाता है कि विवादित आराजियात ख.नं. 1372, 1373, 1377, 1378 किता 4 कुल रकबा 10.48 है0 वाके ग्राम पचार में से खातेदार बोदुराम पुत्र श्री रेखाराम जाति जाट नि. पचार बहक कालूराम पुत्र श्री बालूराम जाति जाट निवासी पचार एवं खातेदार जीवण, दाना पुत्रगण कुम्भाराम जाति जाट निवासीगण पचार बहक कालूराम पुत्र बालूराम जाति जाट नि. पचार के हक में निष्पादित रजिस्टर्ड विकय पत्रों को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया हो तो उक्त विकय पत्रों के आधार पर पुनः ना.करण नियमानुसार भरवाकर तस्दीक करें।

5. यह आदेश आज दिनांक 10.10.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

दांतारामगढ